कार्यालय जिला कलक्टर, (सहायता) खैरथल–तिजारा, राजस्थान

क्रमांक : खैरथल–तिजारा/सहायता/2025/84 दिनांक : 20/01/2026

–: प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति :–

मानसून वर्ष 2025 में बाढ/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों की तत्काल अस्थायी मरम्मत एवं पुर्नस्थापना हेतु श्रीमान शासन उप सचिव, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राज0 जयपुर द्वारा पंचायत भवनों की मरम्मत हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। उक्त स्वीकृति के अनुसरण में कार्यकारी एजेन्सी द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृतियों में अंकित अनुसार निम्नानुसार पंचायत भवनों के मरम्मत कार्य हेतु कुल राशि रूपये 06 लाख (अक्षरे छः लाख रूपये मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बजट मद – 2245–02–107–02–(01)–21 (केन्द्रीय सहायता –75 प्रति राज्य निधि –25 प्रति)

S. N.	Sub Division	Tehsil	Name of work	TS No and date	Sanctioned Amt. AS per DMRD Jaipur (Rs. In Lakh)	**Sanctioned Amt. AS per TS issued (Rs. In Lakh)**	Technical sanction issued by
1	Kishangarh Bas	Khairthal	पुराना पंचायत भवन मरम्मत कार्य, (प्रितम के घर के पास) ग्राम पंचायत राताखुर्द	143/05.12.2025	2.5	**2.00**	**पंचायत समिति किशनगढबास**
2	Kishangarh Bas	Khairthal	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र मरम्मत कार्य (अशोक के घर के पास) ग्राम पंचायत इस्माइलपुर	142/05.12.2025	2.5	**2.00**	**पंचायत समिति किशनगढबास**
3	Kishangarh Bas	Khairthal	सामुदायिक भवन खेडा देवत मरम्मत कार्य (अशोक के घर के पास) ग्राम पंचायत इस्माइलपुर	141/05.12.2025	2.5	**2.00**	**पंचायत समिति किशनगढबास**
			TOTAL		**7.5**	**6.00**	

नोट–
1. आपदा प्रबन्धन सहायता एंव नागरिक सुरक्षा विभाग राज0 जयपुर द्वारा एस0डी0आर0एफ0 नोर्म्स के तहत राशि का निर्धारण किया गया है। अतः विद्यालय भवनों की मरम्मत एवं पुनः स्थापना पर राशि का व्यय निर्धारित दर से अधिक नही किया जावे।
2. जो पंचायत भवन Defect liability period के तहत आती है उनकी मरम्मत इस मद से नहीं की जावे।
3. कार्यकारी एजेन्सी द्वारा स्वीकृत राशि से एस0डी0आर0एफ0 मे अनुमत कार्य ही कराये जावेगे।
4. उपखण्ड स्तरीय समिति निरीक्षण के उपरान्त यह रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी कि कार्य एस0डी0आर0एफ0 मापदण्ड एवं प्रावधान के अनुसार संतोषजनक कराया गया है।

RajKaj Ref No.:
19924223
eSign 1.0

Signature valid

Digitally signed by Shivpal Jat
Designation : Additional Collector And Additional District Magistrate
Date: 2026.01.20 18:31:19 IST
Reason: Approved

5. कार्यकारी विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों में दर्शायी गयी वर्षा की मात्रा, जल संसाधन विभाग से प्रमाणित करा, क्षति का मुख्य कारण बाढ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जलसंसाधन विभाग कार्यालय से प्राप्त कर मरम्मत एवं पुर्नस्थापना कार्य कराया जावेगा। इसके उपरान्त ही संबंधित कार्य के बिल का भुगतान किया जावेगा।
6. स्वीकृत राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, पीडब्ल्यू एण्ड एफआर नियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया की पूर्ण पालना का उत्तरदायित्व कार्यकारी एजेन्सी का होगा।
7. व्यय के लेखे महालेखाकार कार्यालय एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिये सदैव खुले रहेगे।
8 प्रत्येक स्वीकृत कार्य प्रारम्भ से पूर्व एवं कार्य पूर्ण होने के पश्चात साईट का जीपीएस फोटों प्रत्येक बिल के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। फोटो के अभाव में भुगतान नहीं किया जावेगा।
9. उपरोक्त सभी कार्य आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या 17913950 दिनांक 23.09.2025 (प्रति संलग्न) में दिये गये दिशा–निर्देशों के अध्यधीन ही किये जावे।

यह स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

प्रभारी अधिकारी (सहायता) एवं,
अति0 जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा

क्रमांकः–खैरथल–तिजारा/सहायता/2025/85 **दिनांक–**20/01/**2026**

प्रतिलिपिः–निम्न सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एंव नागरिक सुरक्षा विभाग राज0 जयपुर।
2. उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास
3. जिला कोषाधिकारी, खैरथल–तिजारा।
4. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, खैरथल–तिजारा।
5. अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन विभाग, खैरथल–तिजारा।
6. विकास अधिकारी पंचायत समिति, किशनगढबास।

प्रभारी अधिकारी (सहायता) एवं,
अति0 जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा

Signature valid

Digitally signed by Shishpal Jat
Designation: Additional Collector And Additional District Magistrate
Date: 2026.01.20 18:31:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19924223
eSign 1.0